भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.81*

दिनांक 08 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय बागानों को बंद किया जाना

***81. श्री एम.बदरूद्दीन अजमल :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेष रूप से असम में कार्यशील चाय बागानों की संख्या कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी मात्रा में चाय निर्यात की गई;

(ख) क्या असम के कुछ चाय बागानों सहित देश में कई चाय बागान या तो रूग्ण अवस्था में हैं या बंद पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब से बंद पड़े हैं ;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने बागान पुनरूज्जीवित किए गए/पुनः खोले गए;

(ड.) क्या सरकार द्वारा यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है/किये जाने का विचार है कि इन बागानों के रूग्ण अवस्था में होने के क्या कारण हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"चाय बागानों को बंद किया जाना" विषय पर लोक सभा में दिनांक 08 फरवरी,2023 को उत्तर के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): देश में कुल 1567 चाय बागान हैं, जिनमें से 762 चाय बागान असम राज्य में हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई चाय की मात्रा नीचे दी गई है:

वर्ष	**मात्रा (मिलियन किग्रा.)**	**मूल्य (करोड़ रुपए)**
2019-20	241.34	5457.10
2020-21	203.79	5311.53
2021-22	200.79	5415.78
2022-23 (दिसंबर, 2022 तक)	189.18	5132.46

स्रोत: टी बोर्ड

(ख) और (ग):चाय अधिनियम, 1953 में रुग्ण/बंद चाय बागानों के लिए कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा बागान को बंद घोषित किए जाने पर चाय बोर्ड द्वारा उसे बंद माना जाता है। वर्तमान में, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों में कुल 07 चाय बागान बंद हैं। वर्तमान में असम राज्य में राज्य सरकार ने किसी भी चाय बागान को बंद घोषित नहीं किया है। देश में वर्तमान में बंद चाय बागानों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**राज्य**	**चाय बागान का नाम**	**अवधि जिसके लिए उद्यान बंद रहे हैं**
1	पश्चिम बंगाल	पानीघाटा टी.ई	7 वर्ष से अधिक
2		ढेकलापारा टी.ई	16 वर्ष से अधिक
3		लंकापारा टी.ई	7 वर्ष से अधिक
4		दुतेरिया टी.ई	3 वर्ष से अधिक
5	केरल	पीरमेड और लोनेट्री टी.ई	6 वर्ष से अधिक
6		कोट्टामाला और बोनामी टी.ई	9 और 8 साल से अधिक
7		बोनैकॉर्ड टी.ई	7 वर्ष से अधिक

स्रोत: टी बोर्ड

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊपर उल्लिखित चाय बागानों में से किसी भी चाय बागान को पुन: नहीं खोला गया है। हालांकि, 12 चाय बागान जो पूर्व में बंद कर दिए गए थे, ने विगत तीन वर्षों के दौरान अपना परिचालन फिर से आरंभ कर दिया है।

(ङ) और (च): चाय अधिनियम, 1953 में रुग्ण/बंद चाय बागानों की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। चाय बोर्ड ने चाय बागानों को बंद करने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है। चाय बागानों के बंद होने का मुख्य कारण खराब उद्यान प्रबंधन प्रणाली, अत्यधिक ऋण-उन्मुख वित्त पोषण कार्यनीति, स्वामित्व विवाद, पुरानी झाडियां और बागानों की परिणामी खराब उपज आदि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

***